7/5/2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अ०। वकील प्रार्थी ने अपील का पेश कर ~~[illegible]~~ कि प्रथम के माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23/09/2020 को पुनर्विचार निर्णय किये जाने हेतु वापस निर्णय [illegible] पारित किया गया था अतः प्रथम के वापस निर्णय तक पालन किया जावे। इसी पत्रावली का अवलोकन किया। वाद विषय में स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें पूर्व में दिनांक 23/09/2020 को प्राथमिक [illegible] निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री की गई है ऐसे में पार्टियों को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। तथापि प्रार्थी ने अपील में नकल एक पत्रावली वापसी वाद में दिनांक 21/08/2019 को की गई थी। अतः इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम [illegible] पटवार हल्का सरना डूंगर तहसील व जिला जयपुर के खिलाफ आराजी खसरा नम्बर 203 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा, 204 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, 209 रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा, 210 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा, 211 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा, 212 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि के अभिलेख को वाद के निर्णय तक रिकार्ड पर मौजूदा स्थिति बनाये रखने हेतु पालन किया जाता है। पत्रावली दर्ज [illegible] पेशकार द्वारा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.10.28 15:59:08 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप ब्रार
सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Scanned with CamScanner